न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –198/2020(2020/00271)

अनवान : –

1. बलजीत मेहरिया पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
2. विरेन्द्र मेहरिया पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. सुशीला रानी पुत्री शंकरलाल जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री कपूरचन्द शर्मा **वादी**
श्री सुरेन्द्र बैनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 17/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही. मौजा चक 5 एमआरएन के वर्तमान खाता संख्या 138/130 के मुरब्बा न0 9 के किला न0 11, 20, 21 मु0 न0 10 के किला न0 12 ता 25, मु0 न0 11 के किला न0 16, 25 मु0 न0 26 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, मु0 न. 27 के किला न0 1 ता 21, मु0 न0 28 के किला न0 1, 10, 11, 20 मु0 न0 34 के किला न0 1, 9 ता 12, 19 ता 22 इस प्रकार कुल किता 61 की कुल 15.433 हैक्टेयर मय रास्ता खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम 3/14 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा रामचन्द्र की खातेदारी हुआ करती थी। रामचन्द्र से विरासतन [illegible] प्रतिवादी शंकरलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल [illegible] प्रतिवादी शंकरलाल ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी शंकरलाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल को वादी के दादा रामचन्द्र से विरासतन प्राप्त हुई है। चालू जमाबन्दी चक 5 एमआरएन सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 138/130 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 सुशीला रानी वादीगण की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी बलजीत पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 5 एमआरएन सम्वत 2072–75 खाता संख्या 138/130 प्रदर्श 1, नामान्तरकरण रजिस्टर प्रविष्टि संख्या 735 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 7 एमआरएन स्मवत 2073–76 खाता संख्या 75/69 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 9 एमआरएन सम्वत 2074–77 खाता संख्या 91/85 प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत महराना का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। चक 9 एमआरएन के खाता संख्या 91/85 में 100 हिस्सा व चक 7 एमआरएन के खाता संख्या 75/69 में कुल 1.197 है0 में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये है, जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि हो।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। ह[illegible] वादीगण ने रोही मौजा चक 5 एमआरएन के वर्तमान खाता संख्या 138/130 [illegible] न0 9 के किला न0 11, 20, 21 मु0 न0 10 के किला न0 12 ता 25, मु0 न0 11 के किला न0 16, 25 मु0 न0 26 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, मु0 न. 27 के किला न0 1 ता 21, मु0 न0 28 के किला न0 1, 10, 11, 20 मु0 न0 34 के किला न0 1, 9 ता 12, 19 ता 22 इस प्रकार कुल किता 61 की कुल 15.433 हैक्टेयर मय रास्ता खाला खातेदारी कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम 3/14 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 एमआरएन के वर्तमान खाता संख्या 138/130 के मुरब्बा न0 9 के किला न0 11, 20, 21 मु0 न0 10 के किला न0 12 ता 25, मु0 न0 11 के किला न0 16, 25 मु0 न0 26 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, मु0 न. 27 के किला न0 1 ता 21, मु0 न0 28 के किला न0 1, 10, 11, 20 मु0 न0 34 के किला न0 1, 9 ता 12, 19 ता 22 इस प्रकार कुल किता 61 की कुल 15.433 हैक्टेयर मय रास्ता खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम 3/14 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 बलजीत मेहरिया, वादी संख्या 2 विरेन्द्र मेहरिया को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जातेहै।** प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:58 IST
Reason: SelfAttested